(423/1)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

पत्रांक : 10383/~~28~~ 03/76/एक/2018–19 दिनांक : 07 ~~जनवरी~~ फरवरी 2019

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–**बस्ती**।

विषय : **मुख्यमंत्री नगरीय अल्पविकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण**

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 में आपके जनपद को मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत (अनुदान संख्या–37/83) में शासन द्वारा स्वीकृत की गई निम्न परियोजनाओं की प्रथम किश्त की धनराशि निम्नलिखित विवरण के अनुसार अवमुक्त की जा रही है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एक्सिस बैंक	915010021963517	IFSC Code UTIB0000855	183.780

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
1	बस्ती	म0ब0–83	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 07 पिकौरा शिवगुलाम में राजू पाल के घर से आनन्द के घर होते हुए विपिन क घर तक इण्टरलाकिंग सड़क निर्माण कार्य।	19.653	100%
2	बस्ती	म0ब0–83	न0पं0 बनकटी	वार्ड नं0 06 के मो0 मोहन नगर कैथोरा में बासपार पिच रोड से कैथेरा पाण्डेय पुरवा तक इण्टरलाकिंग रोड का निर्माण कार्य।	21.339	50%
3	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 05 मुहल्ला पिकौरा शिवगुलाम में अनिल श्रीवास्तवा के मकान से बलराम के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली ढक्कन सहित निर्माण कार्य।	6.388	100%
4	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 05 मोहल्ला शिवगुलाम में आर0डी0मिश्रा के मकान से लालचन्द के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	2.536	100%
5	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 05 मुहल्ला पिकौरा शिवगुलाम में रामचन्दर के मकान से विनोद चौधरी तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.650	100%
6	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 12 रौतापार में ब्लाक रोड से चन्दर माझी के मकान होते हुए नाथूराम के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.166	100%

५२५/२

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
7	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 बेलाडाडी में शेरअली निजमी के मकान से रशीद के मकान होते हुए घनश्याम के मकान तक सी0सी0 सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	11.006	100%
8	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 24 मो0 कटरा लोहरी प्रसाद के मकान से राम लखन मास्टर के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	5.570	100%
9	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 25 मो0 पिकौरा बक्स में राजीव गुप्ता के मकान से राजकुमार जायसवाल के मकान होते हुए हाईड्रिल ऑफिस तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	19.040	100%
10	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 12 रौतापार में अम्बेडकर पार्क रोड से रामयेंद्र के घर होते हुए दिनेश के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	10.418	100%
11	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 12 रौतापार में अम्बेडकर पार्क रोड पर हेमराज, सीमा, विमलेश चन्द्र के घर होते हुए सुशील के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	12.990	100%
12	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 12 रौतापार में माया के मकान से सुरेन्द्र नाथ के मकान होते हुए आर0पी0वर्मा के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	8.043	100%
13	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 13 महरीखावा मे सावित्री देवी के मकान से शिवकुमार के मकान तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	6.094	100%
14	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 13 महरीखावा मे डाकबंगला मुख्यमार्ग से सी0ओ0 आवास तक इण्टरलॉकिंग सड़क निर्माण कार्य।	8.248	100%
15	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं0 13 महरीखावा मे पुलिसलाईन मुख्यमार्ग से आरती देवी के मकान होते हुए सुरेश चन्द्र के मकान के सटे रास्ते से महेश चन्द्र के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	13.361	100%
16	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं. 19 मो0 ओरीजोत में हरीराम चौधरी के मकान से नरसिंह के मकान होते हुए शम्भू भारती के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.217	100%
17	बस्ती	मु0अ0–37	न0पा0प0 बस्ती	वार्ड नं. 19 मो0 ओरीजोत में खटिक टोला में राम प्रसाद सोनकर के मकान से दुलारी के मकान होते हुए राहुल के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क एवं नाली निर्माण कार्य।	9.591	100%

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027

Website-sudaup.org

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अनुदान संख्या	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत धनराशि का प्रेषण	शासन से प्राप्त धनराशि में सेन्टेज की कटौती के उपरान्त प्रेषित धनराशि
18	बस्ती	मु0अ0–37	न0पं0 बनकटी	वार्ड नं0 14, कलाम नगर में काली मन्दिर से राम सेवक चौधरी के घर तक इण्टरलॉकिंग एवं सड़क निर्माण कार्य।	8.470	100%
	योग				183.78	

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित व मलिन बस्ती विकास योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता/पुरातत्व विभाग आदि के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2018–19 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

(423/4)

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0

7/23, सेक्टर–7, गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226027
Website-sudaup.org

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के क्रम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसका भुगतान न करते हुये उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजनाओं में अवमुक्त की गई धनराशि में से अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक

<u>पत्रांक एवं दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक/परि0 अधि0, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. कार्यक्रम अधिकारी, सूडा।
3. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(साजिद आजमी)
वित्त नियन्त्रक